

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 01 / (वरी.)-03 / 2007-..... / रॉची, दिनांक :..... /

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड रॉची के Civil review No.- 7 of 2008 के साथ Civil Review No.-10 of 2008 में दिनांक 16.12.08 को पारित आदेश के अनुपालन में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 1862 दिनांक 31.03.03 द्वारा 85वें संविधान संशोधन के आलोक में जल संसाधन विभाग द्वारा पूर्व में अधिसूचित आदेश सं.-27 दिनांक 15.02.08 एवं 110 दिनांक 08.01.08 तथा 4765 दिनांक 27.11.07 को उक्त writ Petition में अंतिम आदेश पारित होने तक सुसुप्तावस्था (Under abeyance) में रखा जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह./-

(सीता कान्त झा)

संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-

4321

रॉची, दिनांक :-

23-8-12

प्रतिलिपि:- सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/ सभी अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास सहित), झारखण्ड/प्रबंध निदेशक, झालको/ झारखण्ड पुलिस बिल्डिंग कॉरपोरेशन, झारखण्ड/ उप सचिव, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, झारखण्ड, रॉची/ उप सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/ उप सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड रॉची/ मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी-1, 2, 3, 5 एवं 8, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रभारी एम.आई.एस. सेल, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सीता कान्त झा)

संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।